मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 178/2024

1. विशाल भादू पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट निवासी 2 एनएम, ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्री अन्तराम जाति जाट निवासी 2 एनएम, ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. पाली देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी 2 एनएम, ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 23-12-2024

वादीगण की ओर से श्री धनराज सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री विनोद बिश्नोई अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि तहसील पीलीबंगा के चक 7 बी.आर.पी. के खाता संख्या 52/44 के प.नं. 31/367 (44) किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 की 1.265 हैक्ट.व प.नं. 31/368 (53) किला नं. 1, 2 की 0.506 हैक्ट. इस प्रकार कुल 1.771 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा (नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 23-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.23 10:36:11 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा